



प्रधान महालेखाकार(ले.प. I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I),
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM



No. Au/Admn.VI/iCED/Vol.V

Date: 02.01.2025

अनुभागीय आदेश सं. 308
SECTIONAL ORDER NO. 308

श्री अंकित सिंह, ले.प. को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केंद्र, जयपुर में प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेखापरीक्षक के रूप में कार्यभार सँभालने हेतु, 03.01.2025 (अप) से इस कार्यालय में उनके कर्तव्यों से मुक्त किया जाता है। यह प्रतिनियुक्ति जनहित में है। प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 04.01.2025 से तीन वर्ष के लिए होगी, जिसे उनकी निरंतर उपयुक्तता और प्रशासनिक सुविधा के अधीन आगे बढ़ाया जा सकता है। कार्यमुक्त होने पर, अधिकारियों को निदेशक/प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केंद्र, जयपुर में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

कार्यमुक्त होने के समय अर्थात् 03.01.2025 तक, श्री अंकित सिंह, लेखापरीक्षक. ने कोई आकस्मिक अवकाश /प्रतिबंधित अवकाश का लाभ नहीं उठाया है।

Shri. Ankit Singh, Auditor is relieved from his duties in this office with effect from 03.01.2025 (AN) to join International Centre for Environment Audit and Sustainable Development (iCED), Jaipur as Auditor on deputation basis. The deputation is treated to be in public interest. The initial period of deputation will be for three years reckoning from 04.01.2025, which can be extended further subject to his continued suitability and administrative convenience. On being relieved, the official is directed to report to the Director (Admn), iCED Jaipur.

At the time of relieving i.e., as on 03.01.2025, Shri. Ankit Singh, Auditor has not availed any CL/RH.

(उप महालेखाकार/प्रशा. के दिनांक 02.01.2025 के आदेशानुसार।)
(Vide orders dated 02.01.2025 of DAG/Admn.)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा.
Senior Audit Officer/Admn.

प्रतिलिपि/Copy to:

1. अनु.आ.पुस्तिका / S.O Book.
2. श्री अंकित सिंह, लेखापरीक्षक/ Shri. Ankit Singh, Auditor
3. वरि.ले.प.अ./प्रशा., अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केंद्र, जयपुर / (Sr.AO (Admn), iCED Jaipur –with covering letter
4. प्र.म.ले.(लेखापरीक्षा-I)/(लेखापरीक्षा-II) के सचिव/Secretary to PAG (Au I & II)
5. वरि.ले.प.अ.(प्रशिक्षण प्रकोष्ठ)/Sr.AO/Training Cell
6. वरि.ले.प.अ./प्रशा.(लेखापरीक्षा- II)/Sr.AO/Admn (Au II)
7. वरि.ले.प.अ./का.स्था.(बिल्स/हक./रोकड़) /Sr.AO/OE (Bills/Cash/Entt.) (Audit-I/Audit-II)